

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-302

जिसका उत्तर 15 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

उच्चतर विद्युत प्रभारों के कारण भारतीय उद्योगों की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता का बाधित होना

302. श्री संभाजी छत्रपती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कुछ राज्यों में असामान्य उच्च विद्युत प्रभार और अनियमित आपूर्ति भारतीय उद्योगों द्वारा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने में प्रमुख बाधाएं हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार के पास घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के अनुरूप विद्युत प्रभारों में कटौती करने हेतु कोई प्रस्ताव है क्योंकि कतिपय राज्यों में निर्यातोन्मुख भारतीय उद्योगों की स्थिति दुरुस्त करने के लिए बिजली आपूर्ति में काफी हद तक सुधार हुआ है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित अंतिम उपभोक्ताओं हेतु विद्युत प्रभारों को संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा तय किया जाता है। तदनुसार, उद्योगों हेतु विद्युत प्रभार एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं। एसईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों के अनुसार औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु विद्युत प्रभारों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) : उपभोक्ताओं की घरेलू एवं कृषि श्रेणियों को क्रॉस सब्सिडी एवं प्रत्यक्ष सब्सिडी घरेलू एवं कृषि हेतु विद्युत प्रभारों की तुलना में उद्योगों हेतु विद्युत प्रभार अधिक होने का मुख्य कारण हैं। हालांकि टैरिफ विन्यास और क्रॉस सब्सिडी एसईआरसी के क्षेत्राधिकार में आते हैं, प्रत्यक्ष सब्सिडी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। औद्योगिक टैरिफ को सीमा के भीतर बनाए रखने के उद्देश्य से, सरकार ने टैरिफ नीति, 2016 अधिसूचित की है जिसमें उपयुक्त आयोग से विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को आपूर्ति की औसत लागत के $\pm 20\%$ के भीतर तय किया जाना अपेक्षित है।

राज्य सभा में दिनांक 15.09.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 302 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एसईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों के अनुसार औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु विद्युत प्रभारों का राज्य-वार ब्यौरा

01.04.2018 से प्रभावी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में विद्युत टैरिफ				
04		ऊर्जा प्रभार (पैसा/केडबल्यूएच)	अधिकतम प्रभार	
	औद्योगिक आपूर्ति			
	500 केडबल्यूएच तक	600	(क)50	रु./एचपी/माह
	501 केडबल्यूएच और इससे अधिक	750	(ख)200	15 एचपी तक के लोड वाली ग्रामीण क्षेत्रों की चावल ,आटे के मिल मालिकों के लिए रु./माह

01.04.2018 से प्रभावी आंध्र प्रदेश में विद्युत टैरिफ					
श्रेणी सं.	सेवा की श्रेणी	मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार		
एलटी-III	उद्योग (100 एचपी / 75केडबल्यू और इससे कम का अनुबंधित भार)				
	औद्योगिक - सामान्य				
	(i) इंडस्ट्रीज (सामान्य)	75	रु./केडबल्यू/माह	671	पैसा/[केवीएच/केडबल्यूएच]
	(ii) सीजनल इंडस्ट्रीज (ऑफ सीजन)	75	रु./केडबल्यू/माह	745	पैसा/[केवीएच/केडबल्यूएच]
	(iii) मत्स्य पालन और पशुपालन	30	रु./केडबल्यू/माह	386	पैसा/[केवीएच/केडबल्यूएच]
	(iv) गन्ने की पेराई	30	रु./केडबल्यू/माह	386	पैसा/[केवीएच/केडबल्यूएच]
	(v) मशरूम और खरगोश फार्म	75	रु./केडबल्यू/माह	591	पैसा/[केवीएच/केडबल्यूएच]
	(vi) ग्रीनहाउस में फूलों की खेती	75	रु./केडबल्यू/माह	591	पैसा/[केवीएच/केडबल्यूएच]
	(vii) पोल्ट्री हैचरी और पोल्ट्री फीड मिक्सिंग प्लांट एक्वा हैचरीज, एक्वा फीड मिक्सिंग प्लांट्स	75	रु./केडबल्यू/माह	489	पैसा/[केवीएच/केडबल्यूएच]

10.04.2018 से प्रभावी असम में विद्युत टैरिफ			
श्रेणी	सेवा की श्रेणी	नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार (पैसा/केडबल्यूएच)
एलटी-VIII	लघु उद्योग, 25 किलोवाट तक		
(i)	ग्रामीण	40रु./केडबल्यू/पैसा	520

	सभी उपभोग के लिए		
(ii)	शहरी सभी उपभोग के लिए	50रू./केडबल्यू/पैसा	545
एचटी-V(क)	30 केवीए से अधिक और 50 केवीए तक के एचटी लघु उद्योग,	60रू./केवीए/पैसा	590
एचटी-V(ख)	50 केवीए से 150 केवीए तक के एचटी उद्योग-I	130रू./केवीए/पैसा	655
एचटी-V(ग)	150 केवीए से अधिक 150 के एचटी उद्योग-II		
	विकल्प-1	180रू./केवीए/पैसा	720
	विकल्प-2	300रू./केवीए/पैसा	650
एचटी-VI	तेल और कोयला	300रू./केवीए/पैसा	780
एचटी-VII	एचटी सिंचाई , 25 किलोवाट से अधिक	60 रू./केवीए/पैसा	615

01.06.2018 से प्रभावी अरुणाचल प्रदेश में विद्युत टैरिफ			
श्रेणी	सेवा की श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसा/केडबल्यूएच)	अधिकतम प्रभार
5	औद्योगिक उपभोक्ता		
	एलटी (लो टेन्सन)	430	0 रू./केडबल्यू/माह
	i) 1-फेज, 230 वोल्ट	430	0 रू./केडबल्यू/माह
	ii) 3-फेज, 400 वोल्ट		
	एचटी (हाई टेन्सन)		
	i) 3-फेज, 11 वोल्ट	385	0 रू./केडबल्यू/माह
	ii) 3-फेज, 33 केवी	530	0 रू./केडबल्यू/माह
iii) 3-फेज, 132 केवी या इसके अधिक	335	0 रू./केडबल्यू/माह	

01.04.2018 से प्रभावी बिहार में विद्युत टैरिफ			
श्रेणी		मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार
एलटीआईएस	एलटी औद्योगिक सेवा		
एलटीआईएस-I	मांग आधारित टैरिफ(19केवी तक अनुबंध के लिए)	144 रू./केवीए/माह या प्रति माह इसके भाग	650पैसा/केवीएएच
एलटीआईएस-II	मांग आधारित टैरिफ(19 केवी से अधिक और 74 केवी तक अनुबंध मांग के लिए)	180 रू./केवीए/माह या प्रति माह इसके भाग	650पैसा/केवीएएच

01.04.2018 से प्रभावी चंडीगढ़ में विद्युत टैरिफ			
श्रेणी		मांग/नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार (पैसा/केडबल्यूएच)
3	उद्योग		

क	बड़े औद्योगिक विद्युत आपूर्ति(एलएस) (11केवी पर,100केडबल्यू से अधिक कनेक्ट लोड के लिए)-सभी यूनिट	200 रु./केडबल्यू/माह	500
ख	मध्यम औद्योगिक विद्युत आपूर्ति(एमएस)(21 केडबल्यू से 100केडबल्यू)- सभी यूनिट	200 रु./केडबल्यू/माह	470
ग	लघु औद्योगिक विद्युत आपूर्ति(एसपी)(20केडबल्यू या 26बीएचपी तक)- सभी यूनिट	30 रु./केडबल्यू/माह	480

1.04.2018 से प्रभावी छत्तीसगढ़ में विद्युत टैरिफ				
श्रेणी	सेवा की श्रेणी	मांग/नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार	अधिकतम प्रभार
	एलवी उद्योग			
एलवी-5	15 एचपी तक की आटा मिल, हॉलर्स, पावर लूम, ग्राइंडर	65रु./एचपी/माह	380पैसे/केडबल्यूएच	नियत प्रभार
5.1	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र के आदिवासी विकास परिषद और सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास परिषद	65रु./एचपी/माह	340पैसे/केडबल्यूएच	नियत प्रभार
5.2	अन्य उद्योग			
5.2.1	25 एचपी तक	100रु./एचपी/माह	380पैसे/केडबल्यूएच	
क)	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र के आदिवासी विकास परिषद और सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास परिषद	80रु./एचपी/माह	380पैसे/केडबल्यूएच	
5.2.2	100 एचपी तक 25 एचपी से अधिक	110रु./एचपी/माह	550पैसे/केडबल्यूएच	
क)	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र के आदिवासी विकास परिषद	90रु./एचपी/माह	500पैसे/केडबल्यूएच	
5.2.3	100 एचपी से अधिक, 150 एचपी तक	300रु./एचपी/माह	585पैसे/केडबल्यूएच	
5.3	15 केडबल्यू से 112.5 केडबल्यू अनुबंध मांग के लिए टैरिफ आधारित मांग	190रु./एचपी/माह	570पैसे/केडबल्यूएच	
एचवी-4	इस्पात उद्योग			
	220 केवी आपूर्ति	375 रु. / केवीए / माह	530पैसे/केडबल्यूएच	
	132 केवी आपूर्ति	375 रु. / केवीए / माह	545पैसे/केडबल्यूएच	अनुबंध मांग पर मांग प्रभार
	33 केवी आपूर्ति			
	(लोड फैक्टर > 15%)	375 रु. / केवीए / माह	585पैसे/केडबल्यूएच	
	(लोड फैक्टर < 15%)	190 रु. / केवीए / माह	635पैसे/केडबल्यूएच	
	(लोड फैक्टर > 15%)	375 रु. / केवीए / माह	595पैसे/केडबल्यूएच	
	(लोड फैक्टर < 15%)	190 रु. / केवीए / माह	675पैसे/केडबल्यूएच	
एचवी -2	खाने			
	220 केवी आपूर्ति	500 रु. / केवीए / माह	600पैसे/केडबल्यूएच	
	132 केवी आपूर्ति	500 रु. / केवीए / माह	615पैसे/केडबल्यूएच	
	33 केवी आपूर्ति	500 रु. / केवीए / माह	640पैसे/केडबल्यूएच	
	11 केवी आपूर्ति	500 रु. / केवीए / माह	670पैसे/केडबल्यूएच	
एचवी -3	अन्य औद्योगिक और सामान्य प्रयोजन गैर-औद्योगिक			
	220 केवी आपूर्ति	375 रु. / केवीए / माह	585पैसे/केडबल्यूएच	
	132 केवी आपूर्ति	375 रु. / केवीए / माह	595पैसे/केडबल्यूएच	
	33 केवी आपूर्ति			
	(लोड फैक्टर > 15%)	375 रु. / केवीए / मा	630पैसे/केडबल्यूएच	
	(लोड फैक्टर < 15%)	190 रु. / केवीए / मा	645पैसे/केडबल्यूएच	

	11 केवी आपूर्ति			
	(लोड फैक्टर > 15%)	375 रु. / केवीए / माह	665पैसे/केडबल्यूएच	
	(लोड फैक्टर < 15%)	190 रु. / केवीए / माह	685पैसे/केडबल्यूएच	
एचवी -8	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन के लिए उपकरणों के निर्माण से संबंधित उद्योग			
	220/132/33/11 केवी पर	110 रु. / केवीए / माह	370 पैसे / केडबल्यूएच	

01.04.2018 से दादर नगर व हवेली में विद्युत टैरिफ				
क्र. सं.	सेवा की क्षेणी	मांग/नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार (पैसा/केडबल्यूएच)	
3	एलटी-औद्योगिक (99 एचपी तक लोड)			
1	एलटीपी मोटिव पावर 20एचपी तक 20 एचपी से अधिक	5 रु./एचपी/माह	365	
		50 रु./एचपी/माह	375	
2	एलटी सार्वजनिक जल संबंधी कार्य 20एचपी तक 20 एचपी से अधिक	25 रु./एचपी/माह	395	
		50 रु./एचपी/माह	395	
4	एचटी/ईएचटी क्षेणी			
	11 केवी आपूर्ति- 1 मेगावाट तक लोड से जुड़ा	375	अनुबंध मांग व 750 / केवीए / माह या अनुबंध माँग से अधिक भाग तक बिलिंग मांग के लिए रु. / केवीए / माह	330
	66 केवी आपूर्ति	500	अनुबंध मांग व 1000 / केवीए / माह या अनुबंध माँग से अधिक भाग तक बिलिंग मांग के लिए रु. / केवीए / माह	325
	220केवी आपूर्ति	550	अनुबंध मांग व 1000 / केवीए / माह या अनुबंध माँग से अधिक भाग तक बिलिंग मांग के लिए रु. / केवीए / माह	320

01.04.2018 से दमन व दीव में विद्युत टैरिफ			
क्र. सं.	सेवा की श्रेणी	मांग/नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार (पैसा/केडबल्यूएच)
III 1	एलटी		
	एलटीपी मोटिव पावर- सभी यूनिट	रु. / एचपी /माह या उसका भाग	300
IV क)	एचटी / ईएचटी श्रेणी		
	11 केवी और 66 केवी में हाई टेंसन उपभोक्ता (सभी यूनिटों के लिए) / उद्योग/ मोटिव पावर सभी यूनिट	रु. 240/केवीए/माह	355
	फेरो मेटलर्जिकल / स्टील मेल्टिंग / स्टील रीरोलिंग पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज सभी यूनिट	रु. 425/केवीए/माह	350
ख)			

01.04.2018 से दिल्ली में विद्युत टैरिफ			
श्रेणी	सेवा की श्रेणी	नियत /मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार
3	औद्योगिक	250रु./केवीए/माह	725पैसा/केवीएएच

01.04.2018 से गोवा में विद्युत टैरिफ			
श्रेणी	सेवा की श्रेणी	मांग/नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार पैसा/केडबल्यूएच
एलटीआई	टैरिफ- एलटीआई / उद्योग		
	0-500 इकाइयाँ	35 रु./एचपी/माह	330 पैसा/केडबल्यूएच
	500 यूनिट से अधिक	35रु./एचपी/माह	380 पैसा/केडबल्यूएच
एचटी	एचटी औद्योगिक		
	(11 केवी और 33 केवी पर)	250 रु./केवीए/माह	350 पैसा/केडबल्यूएच
	(110 केवी पर)	250 रु./केवीए/माह	440 पैसा/केडबल्यूएच
एचटी	औद्योगिक (लोह धातु / इस्पात मिल मालिक / पावर इन्सेटिव और स्टील रोलिंग)		
	सभी इकाइयाँ	250 रु./केवीए/माह	450पैसा/केडबल्यूएच

01.04.2018 से गुजरात में विद्युत टैरिफ			
श्रेणी	सेवा की श्रेणी	मांग/नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार पैसा/केडबल्यूएच

एलटीएमडी क)	लोड 40 किलोवाट से अधिक और 100 किलोवाट तक कुल भार (परिसर के लिए ऑट टैरिफ श्रेणी में शामिल नहीं है)		
	अनुबंध की मांग तक बिलिंग मांग के लिए		
	i) बिलिंग मांग के पहले 40 किलोवाट के लिए	90रु./केडबल्यू/माह	460
	ii) बिलिंग मांग का अगले 20 किलोवाट	130रु./केडबल्यू/माह	
	iii) बिलिंग मांग के 60 किलोवाट से अधिक	195रु./केडबल्यू/माह	
ख)	अनुबंध की मांग के अतिरिक्त बिलिंग की मांग के लिए	265रु./केडबल्यू/माह	
एचटीपी-1	किसी अन्य एचटी श्रेणियों में निर्दिष्ट नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए 100 केवीए और उससे अधिक का अनुबंधित भार		
	क) अनुबंध मांग तक बिलिंग मांग के लिए		
	i) बिलिंग मांग के पहले 500 केवीए	150रु./केवीए/माह	
	ii) बिलिंग मांग के अगले 500 केवीए	260रु./केवीए/माह	
	iii) बिलिंग मांग के 1000 केवीए से अधिक	475रु./केवीए/माह	
	ख) अनुबंध की मांग से अधिक में बिलिंग की मांग के लिए	555रु./केवीए/माह	
		प्लस	
	क) बिलिंग मांग का 500 केवीए तक		400
	ख) बिलिंग मांग का 500 केवीए से अधिक और 2500 केवीए तक		420
	ग) बिलिंग मांग का 2500 केवीए से अधिक		430
		प्लस	
	उपयोग शुल्क का समय		
	दो व्यस्त अवधि अर्थात 07:00 बजे से 11:00 बजे और 18:00 बजे से 22:00 बजे तक के दौरान ऊर्जा की खपत के लिए।।		
	(क) 500 केवीए तक के लिए बिलिंग मांग के लिए		45
	(ख) 500 केवीए अधिक दिए गए बिलिंग मांग के लिए		85

01.04.2018 से टॉरेंट पावर लिमिटेड, अहमदाबाद में विद्युत टैरिफ

श्रेणी	सेवा की श्रेणी	मांग/नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडबल्यूएच)	न्यूनतम प्रभार
एलटीएमडी-1	सार्वजनिक सेवाओं जैसे एलिवेटर, वाटर पम्पिंग सिस्टम और पम्पिंग स्टेशन रन के लिए 15 कि.वा. से अधिक संस्थापित भार का प्रयोग किया गया			
	1) तक मांग के लिए बिलिंग और अनुबंधित मांग सहित			
	क) प्रति माह मांग के प्रथम 50 कि.वा. की बिलिंग	150 रु./कि.वा./माह	455	
	ख) प्रति माह मांग के अगले 30 कि.वा. की बिलिंग	185 रु./कि.वा./माह	470	
	ग) प्रति माह मांग की बिलिंग को रीसेट करना	245 रु./कि.वा./माह		
	2) अनुबंधित मांग के आधिक्य में मांग के लिए बिलिंग	350 रु./कि.वा./माह		
एलटीएमडी-2	15 कि.वा. से अधिक संस्थापित भार किसी अन्य एलटी श्रेणी में शामिल नहीं की गई है			

	क) तक मांग के लिए बिलिंग और अनुबंधित मांग सहित			
	क) प्रति माह मांग के प्रथम 50 कि.वा. की बिलिंग	175 रु./कि.वा./माह	470	
	ख) प्रति माह मांग के अगले 30 कि.वा. की बिलिंग	230 रु./कि.वा./माह	490	
	ग) प्रति माह मांग की बिलिंग को रीसेट करना	300 रु./कि.वा./माह		
	ख) अनुबंधित मांग के आधिक्य में मांग के लिए बिलिंग	425 रु./कि.वा./माह		
हाईटेंशन टैरिफ				
एचटीएमडी-1	100 कि.वा. और उससे अधिक की अधिकतम मांग वाले एचटी उपभोक्ता अनुबंध कर रहे हैं (स्थानीय द्वारा चल रहे पम्पिंग स्टेशनों के अलावा उद्देश्यों के लिए)			
	क) तक मांग के लिए बिलिंग और अनुबंधित मांग सहित			
	क) प्रथम 400 कि.वा.घं./कि.वा./माह	1000 कि.वा. तक की मांग की बिलिंग के लिए 260 रु./कि.वा./माह	445	
	ख) प्रति माह खपत किए गए शेष केडब्ल्यूएच	1000 कि.वा. और उससे अधिक की मांग की बिलिंग के लिए 260 रु./कि.वा./माह	435	
	ख) अनुबंधित मांग के आधिक्य में मांग के लिए बिलिंग	385 रु./कि.वा./माह		

01.04.2018 से टॉरेंट पावर लिमिटेड, सुरत में विद्युत टैरिफ

श्रेणी	सेवा की श्रेणी	मांग/नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)
लो टेंशन टैरिफ			
एलटीएमडी	15 कि.वा. से अधिक भार की संस्थापना और किसी अन्य एलटी श्रेणी में शामिल नहीं की गई		
	क) 20 केवीए तक की मांग के लिए बिलिंग	115 रु./केवीए/माह	485
	ख) 20 केवीए से अधिक और 60 केवीए तक की मांग के लिए बिलिंग	155 रु./केवीए/माह	
	ग) 60 केवीए तक की मांग के लिए बिलिंग	225 रु./केवीए/माह	
	घ) संविदा मांग के आधिक्य में	250 रु./केवीए/माह	
	40 केवीए और उससे अधिक के भार के लिए रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार	10 पैसे/केवीएआरएच	
हाई टेंशन टैरिफ			
एचटीएमडी-1	100 केवीए और उससे अधिक की मांग की अनुबंधित के लिए 3.3 केवी और उससे अधिक पर एचटी उपभोक्ता (स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा चल रहे पम्पिंग स्टेशनों के अलावा)		
	प्रथम 400 यूनिट/केवीए/माह	प्रथम 500 केवीए की मांग के लिए 170 रु./केवीए/माह से बिलिंग	480
	400 से अधिक की शेष यूनिटें	प्रथम 500 केवीए से अधिक की मांग के लिए 285 रु./केवीए/माह से बिलिंग	470
		अनुबंधित मांग की तुलना में आधिक्य में 395 रु./केवीए/माह	
	प्रयोग किए गए प्रभारों का समय:		
	दो व्यस्ततम अवधियों अर्थात् 0700 बजे से 1100 बजे तक और 1800 बजे से 2200 बजे तक के दौरान ऊर्जा खपत के लिए		
	क) 500 केवीए तक की मांग की बिलिंग के लिए		65
	ख) 500 केवीए से अधिक की मांग की बिलिंग के लिए		100

01.11.2018 से हरियाणा में विद्युत टैरिफ

क्रम सं.	सेवा की श्रेणी	मांग/नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार	ऊर्जा प्रभार पैसे/केडब्ल्यूएच अथवा केवीएच	मासिक न्यूनतम प्रभार
3	एचटी उद्योग (50 कि.वा. से अधिक)				
	11 केवी पर आपूर्ति	170	रु./केवीए/माह	665	शून्य
	33 केवी पर आपूर्ति			655	शून्य
	66 केवी अथवा 132 केवी पर आपूर्ति			645	शून्य
	220 केवी पर आपूर्ति			635	शून्य
	400 केवी पर आपूर्ति			625	शून्य
	आर्क फर्नेस/स्टील रोलिंग मिल्स	170	रु./केवीए/माह	695	शून्य
4	एलटी उद्योग (50 कि.वा. तक)				
	10 कि.वा. तक			635	185 रु./केडब्ल्यूएच/माह
	10 कि.वा. से अधिक और 20 कि.वा. तक	शून्य		665	
	20 कि.वा. से अधिक और 50 कि.वा. तक	शून्य		640	शून्य
	मौजूदा उपभोक्ताओं को 50 कि.वा. से अधिक 70 कि.वा. तक (एलटी)	80 प्रतिशत सीएल पर 160		665	

01.04.2018 से हिमाचल प्रदेश में विद्युत टैरिफ

श्रेणी	सेवा की श्रेणी	नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार	मांग प्रभार
एसआईपी	लघु औद्योगिक विद्युत आपूर्ति (एसआईपी)			
	अनुबंधित मांग <=20 केवीए के लिए सिंगल पार्ट टैरिफ	130 रु./माह	475 पैसे/केडब्ल्यूएच	
	अनुबंधित मांग >20 केवीए <=50 केवीए के लिए टू पार्ट टैरिफ	0 रु./माह	460 पैसे/केवीएच	100
एमआईपी	मध्यम औद्योगिक विद्युत आपूर्ति (अनुबंधित मांग 50 केवीए से अधिक परंतु 100 केवीए से अधिक नहीं)			
	टू पार्ट टैरिफ	0 रु./माह	460 पैसे/केवीएच	120
एलआईपीएस	वृहद औद्योगिक विद्युत आपूर्ति (अनुबंधित मांग 100 केवीए से अधिक)			
	टू पार्ट टैरिफ			
	ईएचटी	0 रु./माह	420 पैसे/केवीएच	425
	एचटी-1 (तक अनुबंधित मांग और 1 एमवीए सहित)		460 पैसे/केवीएच	250
	एचटी-2 (1 एमवीए से अधिक अनुबंधित मांग)		430 पैसे/केवीएच	400

01.10.2016 से जम्मू व कश्मीर में विद्युत टैरिफ

श्रेणी	सेवा की श्रेणी	नियत प्रभार		ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)	
अनुसूची-8	एलटी औद्योगिक				
एलटीआईएस-I	मीटरीकृत सभी उपभोक्ताओं, लेकिन जो एलटीएसएस-II ^{^^} के अंतर्गत शामिल हैं, को छोड़कर, के लिए				
	<50 कि.वा. तक के भार से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए	50.00	रु./कि.वा./माह ^{^^}	330	
	>50 कि.वा. तक के भार से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए	47.00	रु./कि.वा./माह	309	
एलटीआईएस-II	15 एचपी/11.19 ^{^^} कि.वा. तक के भार वाले सभी मीटरीकृत उपभोक्ताओं# के लिए	21.00	रु./कि.वा./माह ^{^^}	330	
#	ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र में आटा चक्की, राइस हस्कर, ऑयल एक्सपेलर्स, कॉटन ग्राइनिंग आदि के लिए 15 एचपी तक का भार (11.19 कि.वा.)				
अनुसूची-9	एचटी औद्योगिक				
	11 केवी आपूर्ति*	136.50 रु./केवीए/माह [^]		295	पैसे/केवीएएच
	33 केवी आपूर्ति**	136.50 रु./केवीए/माह [^]		286	पैसे/केवीएएच
अनुसूची-10	एचटी औद्योगिक (विद्युत गहन उद्योग)				
	11 केवी आपूर्ति	205.00 रु./केवीए/माह [^]		360	पैसे/केवीएएच
	33 केवी आपूर्ति**	200.00 रु./केवीए/माह [^]		334	पैसे/केवीएएच

01.05.2018 से झारखंड में विद्युत टैरिफ

श्रेणी	सेवा की श्रेणी	नियत प्रभार		ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)	
एलटीआईएस	लो टेंशन औद्योगिक सेवाएं*				
	114 एचपी अथवा 100 केवीए तक संस्थापना आधारित टैरिफ	160	रु./एचपी/माह	650	
	114 एचपी अथवा 100 केवीए तक मांग आधारित टैरिफ	160	रु./केवीए/माह	550	
एचटीएस	हाई टेंशन वोल्टेज आपूर्ति सेवा				
	100 केवीए से अधिक की अनुबंधी मांग वाले उपभोक्ता	300	रु./केवीए/माह	575	रु./केवीएएच
	हाई टेंशन विशेष सेवा	500	रु./केवीए/माह	400	रु./केवीएएच

01.04.2018 से कर्नाटक में विद्युत टैरिफ

श्रेणी	सेवा की श्रेणी	मांग/नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)
एलटी-5	एलटी उद्योग		
एलटी-5(क)	ब्रह्म बेंगलूर महानगर पालिके (बीबीएमपी) और नगर नगम पर लागू		
	0-500 यूनिट	5 एचपी व उससे कम के लिए 45 रु./एचपी/माह 5 एचपी से अधिक व 40 एचपी से कम के लिए 50 रु./एचपी/माह	550
	500 यूनिटों से अधिक	40 एचपी एवं उससे अधिक परंतु 67 एचपी से कम के लिए 70 रु./एचपी/माह 67 एचपी एवं उससे अधिक के लिए 130 रु./एचपी/माह	675
एलटी-5(ख)	एलटी-5(क) के तहत शामिल किए गए को छोड़कर सभी क्षेत्रों पर लागू		
	0-500 यूनिट	5 एचपी व उससे कम के लिए 40 रु./एचपी/माह	520
	501-1000 यूनिट	5 एचपी से अधिक व 40 एचपी से कम के लिए 45 रु./एचपी/माह	610
	1000 यूनिटों से अधिक	40 एचपी एवं उससे अधिक परंतु 67 एचपी से कम के लिए 65 रु./एचपी/माह 67 एचपी एवं उससे अधिक के लिए 120 रु./एचपी/माह	640
एचटी-2(क)	एचटी उद्योग		
एचटी-2(क)(i)	ब्रह्म बेंगलूर महानगर पालिके (बीबीएमपी) और नगर नगम पर लागू		
	प्रथम 100000 यूनिट	मांग की 210 रु./माह/केवीए पर बिलिंग	690
	शेष यूनिटों के लिए		720

01.04.2017 से केरल में विद्युत टैरिफ

क्रम सं.	सेवा की श्रेणी	मांग/नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)
एलटी-IV	औद्योगिक (एलटी)		
एलटी-IV(क)	औद्योगिक (सामान्य उद्देश्य)		
	(i) 10 कि.वा. और उससे कम जुड़ा भार	100 रु./उपभोक्ता/माह	550
	(ii) 10 कि.वा. से अधिक जुड़ा भार	75 रु./उपभोक्ता/माह	
	(iii) 10 कि.वा. से अधिक जुड़ा भार	150 रु./उपभोक्ता/माह	
एचटी-1 (क)	औद्योगिक	300 रु./केवीए/माह	550

01.04.2018 से लक्षद्वीप में विद्युत टैरिफ

सेवा की श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)	नियत प्रभार
घ. औद्योगिक - सभी यूनिटें	600	35 रु./माह/केवीए अथवा उसका भाग
ङ. एचटी उपभोक्ता (11 केवी) - सभी यूनिटें	870	100 रु./माह/केवीए अथवा उसका भाग

11.05.2018 से मध्य प्रदेश में विद्युत टैरिफ

श्रेणी	सेवा की श्रेणी	मांग/नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)	न्यूनतम प्रभार
एलवी-4	एलटी औद्योगिक			
4.1	गैर-मियादी उपभोक्ता (शहरी क्षेत्र)			
4.1क	मांग आधारित टैरिफ (अनुबंधित मांग और 150 एचपी तक जुड़ा भार)	228 रु./केवीए/माह अथवा 285 रु./केडब्ल्यू/माह	630	
4.1ख	अस्थायी कनेक्शन	लागू टैरिफ का 1.25 गुना		
4.1	गैर-मियादी उपभोक्ता (ग्रामीण क्षेत्र)			
4.1क	मांग आधारित टैरिफ (अनुबंधित मांग और 150 एचपी तक जुड़ा भार)	144 रु./केवीए/माह अथवा 180 रु./केडब्ल्यू/माह	630	
4.1ख	अस्थायी कनेक्शन	लागू टैरिफ का 1.25 गुना		
4.2	मियादी उपभोक्ता (मियाद की अवधि लगातार 180 दिनों से अधिक नहीं होगी)			
	मियाद के दौरान	सामान्य टैरिफ क्योंकि यह शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-मियादी उपभोक्ताओं के लिए है (नियत एवं ऊर्जा प्रभार)		
	गैर-मियादी	सामान्य टैरिफ क्योंकि यह शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुबंधित मांग अथवा रिकार्ड की गई वास्तविक मांग, जो भी अधिक हो, के 10 प्रतिशत पर गैर-मियादी उपभोक्ताओं के लिए	सामान्य टैरिफ का 120 प्रतिशत क्योंकि क्योंकि यह शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-मियादी उपभोक्ताओं के लिए है (ऊर्जा प्रभार)	
एचवी-3	औद्योगिक, गैर-औद्योगिक और शॉपिंग मॉल			
3.1	औद्योगिक			
	11 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 330 रु./माह/केवीए	660	220/132 केवी पर आपूर्ति के लिए रोलिंग मिल्स: अनुबंधित मांग के 1200 केडब्ल्यूएच/केवीए क्योंकि न्यूनतम वार्षिक खपत की गारंटी दी गई है। शैक्षिक संस्थान: अनुबंधित मांग के 720 केडब्ल्यूएच/ केवीए क्योंकि न्यूनतम वार्षिक खपत की गारंटी दी गई है। अन्य: अनुबंधित मांग के 1800 केडब्ल्यूएच/ केवीए क्योंकि न्यूनतम वार्षिक खपत की गारंटी दी गई है। 33/11 केवी पर आपूर्ति के लिए: शैक्षिक संस्थान:
	11 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		600	
	33 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 510 रु./माह/केवीए	650	
	33 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		550	
	132 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 610 रु./माह/केवीए	605	
	132 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		525	
	220/400 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 620 रु./माह/केवीए	565	
	220/400 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		500	
3.2	गैर-औद्योगिक			
	11 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 300 रु./माह/केवीए	680	
	11 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		630	
	33 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 430 रु./माह/केवीए	670	
	33 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		610	
	132 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 540 रु./माह/केवीए	620	

	132 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		650	अनुबंधित मांग के 600 केडब्ल्यूएच/ केवीए क्योंकि न्यूनतम वार्षिक खपत की गारंटी दी गई है।
3.3	शॉपिंग मॉल			
	11 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 270 रु./माह/केवीए	680	
	11 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		625	100 केवीए तक अनुबंधित मांग अनुबंधित मांग के 600 केडब्ल्यूएच/ केवीए क्योंकि न्यूनतम वार्षिक खपत की गारंटी दी गई है।
	33 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 375 रु./माह/केवीए	660	
	33 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		590	अन्य: अनुबंधित मांग के 1200 केडब्ल्यूएच/ केवीए क्योंकि न्यूनतम वार्षिक खपत की गारंटी दी गई है।
	132 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 510 रु./माह/केवीए	600	
	132 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		540	
3.4	विद्युत गहन उद्योग			
	33 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 530 रु./माह/केवीए	500	
	33 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		500	
	132 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 640 रु./माह/केवीए	480	
	132 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		480	
	220 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 660 रु./माह/केवीए	450	
	220 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		450	
एचवी-4	मियादी उपभोक्ता			
	मियाद के दौरान			
	11 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 340 रु./माह/केवीए	630	अनुबंधित मांग के 900 केडब्ल्यूएच/ केवीए क्योंकि न्यूनतम वार्षिक खपत की गारंटी दी गई है।
	11 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		570	
	33 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 370 रु./माह/केवीए	620	
	33 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		540	
	गैर-मियाद के दौरान			
	11 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 340 रु./माह/केवीए*	756	अनुबंधित मांग के 900 केडब्ल्यूएच/ केवीए क्योंकि न्यूनतम वार्षिक खपत की गारंटी दी गई है।
	11 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		लागू नहीं	
	33 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ की खपत के लिए)	बिलिंग मांग का 370 रु./माह/केवीए#	744	
	33 केवी पर (50 प्रतिशत एलएफ के आधिक्य में खपत के लिए)		लागू नहीं	
	* वर्ष के दौरान अनुबंधित मांग के 10 प्रतिशत पर (अथवा रिकार्ड की गई वास्तविक मांग, जो भी अधिक हो)			
	# वर्ष के दौरान अनुबंधित मांग के 10 प्रतिशत पर (अथवा रिकार्ड की गई वास्तविक मांग, जो भी अधिक हो)			

01.09.2018 से महाराष्ट्र में विद्युत टैरिफ

श्रेणी की सं.	सेवा की श्रेणी	मांग/नियत प्रभार		ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)	व्हीलिंग प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)	कुल ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)				
एलटी-V (क)	एलटी औद्योगिक - पावरलूम									
(i)	0-20 कि.वा. (तक एवं 27 एचपी सहित)	350	रु./माह/कनेक्शन	465	130	595				
(ii)	20 कि.वा. से अधिक (27 एचपी से अधिक)	280	रु./केवीए/माह	585	130	715				
एलटी-V (ख)	एलटी औद्योगिक - सामान्य									
(i)	0-20 कि.वा. (तक एवं 27 एचपी सहित)	350	रु./माह/कनेक्शन	476	130	606				
(ii)	20 कि.वा. से अधिक (27 एचपी से अधिक)	280	रु./केवीए/माह	563	130	693				
	एचटी-(11 केवी और उससे अधिक)		नियत प्रभार (रु./केवीए/माह)	सभी आपूर्ति वोल्टेज स्तरों के लिए ऊर्जा प्रभार	33 केवी के लिए व्हीलिंग प्रभार (पैसे/ केडब्ल्यूएच)	33 केवी के लिए कुल ऊर्जा प्रभार (पैसे/ केडब्ल्यूएच)	22 केवी के लिए व्हीलिंग प्रभार (पैसे/ केडब्ल्यूएच)	22 केवी के लिए कुल ऊर्जा प्रभार (पैसे/ केडब्ल्यूएच)	11 केवी के लिए व्हीलिंग प्रभार (पैसे/ केडब्ल्यूएच)	11 केवी के लिए कुल ऊर्जा प्रभार (पैसे/ केडब्ल्यूएच)
एचटी-I	एचटी-औद्योगिक									
(क)	औद्योगिक सामान्य	350	रु./केवीए/माह	710	15	725	38	748	78	783
(ख)	औद्योगिक मियादी	350	रु./केवीए/माह	740	15	725	38	778	78	818

01.09.2018 से रिलायंस एनर्जी (मुंबई) में विद्युत टैरिफ

श्रेणी सं.	सेवा की श्रेणी	नियत/मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार# (पैसे/केडब्ल्यूएच)
एलटी-III (क)	एलटी-तक औद्योगिक भार एवं 20 कि.वा. सहित		
	0-20 कि.वा.	330 रु./माह	857
एलटी-III (ख)	एलटी-20 कि.वा. से अधिक औद्योगिक भार		
	20 कि.वा. से अधिक	275 रु./केवीए/माह	882
	हाई टेंशन (एचटी)		
एचटी-I	एचटी-औद्योगिक-सभी यूनिटें	275 रु./केवीए/माह	885
# व्हीलिंग प्रभारों (पैसे/केडब्ल्यूएच) और विनियामक परिसंपत्ति प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच) सहित।			

01.09.2018 से टाटा पावर कं. (मुंबई) में विद्युत टैरिफ

श्रेणी सं.	सेवा की श्रेणी	नियत प्रभार/मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार* (पैसे/केडब्ल्यूएच)
एलटी-III (क) (ख)	एलटी- औद्योगिक		
	0-20 कि.वा.	330 रु./माह	939
	20 कि.वा. से अधिक	275 रु./केवीए/माह	774
	एचटी-औद्योगिक		
	सभी यूनिटें	275 रु./केवीए/माह	905
# वहीलिंग प्रभारों (पैसे/केडब्ल्यूएच) और विनियामक परिसंपत्ति प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच) सहित।			

01.09.2018 से बी.ई.एस.टी. (मुंबई) में विद्युत टैरिफ

श्रेणी सं.	सेवा की श्रेणी	नियत/मांग प्रभार	विभिन्न प्रभार		
			ऊर्जा प्रभार* (पैसे/केडब्ल्यूएच)	टीडीएलआर प्रतिदाय (पैसे/केडब्ल्यूएच)	कुल (पैसे/केडब्ल्यूएच)
एलटी-III (क)	एलटी-तक औद्योगिक भार 20 कि.वा. तक				
	0-500 यूनिट/माह	330 रु./माह	654	178	654
	0-500 यूनिट/माह से अधिक	330 रु./माह	654	249	654
एलटी-III (ख)	एलटी-20 कि.वा. से अधिक औद्योगिक भार				
	20 कि.वा. से अधिक	275 रु./केवीए/माह	645	222	645
एचटी-1	एचटी-औद्योगिक				
	सभी यूनिटें	275 रु./केवीए/माह	736	202	736
* वहीलिंग प्रभार सहित ऊर्जा प्रभार					

01.04.2018 से मणिपुर में विद्युत टैरिफ

श्रेणी सं.	सेवा की श्रेणी	नियत/मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)
	एलटी आपूर्ति		
श्रेणी-7	लघु उद्योग	65 रु./कि.वा. में अनुबंधित भार	375
	एचटी आपूर्ति		
श्रेणी-4	मध्यम उद्योग	100 रु./केवीए में मांग की बिलिंग	490
श्रेणी-5	वृहद उद्योग	100 रु./केवीए में मांग की बिलिंग	610

01.04.2018 से मेघालय में विद्युत टैरिफ

अनुसूची	सेवा की श्रेणी	आपूर्ति के वोल्टेज	नियत/मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)
आईएलटी	औद्योगिक			
	सभी यूनिटें	एलटी	110 रु./केडब्ल्यू/माह	600
	हाई टेंशन (एचटी)			
आईएचटी	औद्योगिक	आईएचटी	200 रु./केवीए/माह	660
आईईएचटी	अतिरिक्त हाई टेंशन - औद्योगिक	आईईएचटी	200 रु./केवीए/माह	620
औद्योगिक (एचटी/ईएचटी) के लिए टीओडी टैरिफ				
	से	तक	अवधि	
	0600 बजे	1700 बजे	सामान्य	सामान्य टैरिफ
	1700 बजे	2300 बजे	व्यस्ततम	सामान्य टैरिफ का (+) 20 प्रतिशत
	2300 बजे	0600 बजे	ऑफ-पीक	सामान्य टैरिफ का (-) 20 प्रतिशत

01.04.2018 से मिजोरम में विद्युत टैरिफ

श्रेणी संख्या	सेवा की श्रेणी	नियत/मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार
एलटी आपूर्ति			
श्रेणी -7	औद्योगिक		
	1-400 केडब्ल्यूएच/माह	70 रुपए/केडब्ल्यू/माह	410
	400 केडब्ल्यूएच/माह से अधिक		480
एचटी आपूर्ति			
श्रेणी-5	औद्योगिक		
	सभी यूनिटें	70 रुपए/केवीए/बिलिंग मांग का माह	455

01.04.2018 से नागालैंड में विद्युत टैरिफ

श्रेणी	सेवा की श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)	न्यूनतम मासिक प्रभार
ख	औद्योगिक		(रुपए/केडब्ल्यूएच)
	क) 500 केडब्ल्यूएच से कम	525	संविदा मांग या उसके हिस्से के 200 रुपए प्रति माह/केवीए
	ख) 501 से 5000 केडब्ल्यूएच तक	630	
	ग) 5000 केडब्ल्यूएच से अधिक	720	

01.04.2018 से ओडिशा में विद्युत टैरिफ

क्रम संख्या	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मांग प्रभार (रुपए/केडबल्यू/माह)/(रुपए/ केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडबल्यूएच)	ग्राहक सेवा प्रभार (रुपए/माह)	पहले केडबल्यू या भाग के लिए न्यूनतम मासिक नियत प्रभार (रुपए)	किसी अतिरिक्त केडबल्यू या भाग के लिए मासिक नियत प्रभार (रुपए)	छूट (पैसे/केडबल्यूएच)/डीपी एस
	एलटी श्रेणी						
7	एलटी औद्योगिक (एस) आपूर्ति 22 केवीए से कम		570		80	35	10 पैसे/केडबल्यूएच
8	एलटी औद्योगिक (एम) आपूर्ति 22 केवीए से अधिक 110 केईवी से कम		570		100	80	डीपीएस/छूट
13	बड़े उद्योग	200	570	30			डीपीएस/छूट
	एचटी श्रेणी						
20	एचटी उद्योग (एम) आपूर्ति	150	जैसा कि नीचे नोटस में इंगित किया गया है	250			डीपीएस/छूट
23	बड़े उद्योग	250		250			डीपीएस/छूट
	ईएचटी श्रेणी						
30	बड़े उद्योग	250	जैसा कि नीचे नोटस में इंगित किया गया है	700			डीपीएस/छूट
32	भारी उद्योग	250		700			डीपीएस/छूट

नोट एचटी उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार

लोड फैक्टर के साथ	<=60%	535
लोड फैक्टर के साथ	>60%	425
ईएचटी उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार		
लोड फैक्टर के साथ	<=60%	535
लोड फैक्टर के साथ	>60%	425

01.04.2018 से पुदुचेरी में विद्युत टैरिफ

उपभोक्ता श्रेणी	सेवा की श्रेणी	नियत/मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार
6	उद्योग			
	(क) एलटी उद्योग-औद्योगिक सेवाओं में लाइटिंग सहित न्यून टेंशन उपभोक्ताओं के लिए लागू	100 रुपए/कनेक्शन/माह	500	
	(ख) एचटी उद्योग (11 केवी, 22 केवी या 33 केवी पर आपूर्ति के लिए)	350 रुपए/केवीए/माह	530	
	(ग) ईएचटी उद्योग (110 केवी या 132 केवी पर आपूर्ति के लिए)	420 रुपए/केवीए/माह	500	

01.04.2018 से पंजाब में विद्युत टैरिफ

क्रम संख्या	सेवा की श्रेणी	मांग/नियत प्रभार (रुपए/केडबल्यू या केवीए)	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडबल्यूएच)		
7	औद्योगिक आपूर्ति				
	क) 20 केडबल्यू तक लघु विद्युत (एसपी)(1 चरण 230 वॉल्ट या 3 चरण 400 वॉल्ट)	90 रुपए/केडबल्यू	558		
	ख) 20 केडबल्यू से अधिक और 100केवीए तक मध्यम आपूर्ति (एमएस) (3 चरण 400 वॉल्ट या 11 केवी)	115 रुपए/केवीए	572	पैसे/केवीएच	
	ग) बड़ी आपूर्ति (एलएस) 11केवी या अधिक पर आपूर्ति				
	i) सामान्य उद्योग				
	क) 100 केवीए से अधिक और 2500 केवीए तक		581	पैसे/केवीएच	
	सभी यूनिटें	150 रुपए/केवीए			
	ख) 100 केवीए से अधिक और 2500 केवीए तक		585	पैसे/केवीएच	
	सभी यूनिटें	205 रुपए/केवीए			
	ग) 2500 केवीए से अधिक		590	पैसे/केवीएच	
	सभी यूनिटें	240 रुपए/केवीए			
	(II) पीआईयू (पावर इंटेन्सिव यूनिट)/एआरसी फर्नेस				
	क) 100 केवीए से अधिक और 1000 केवीए तक				
	सभी यूनिटें	155 रुपए/केवीए	585	पैसे/केवीएच	
	ख) 1000 केवीए से अधिक और 2500 केवीए तक				
	सभी यूनिटें	250 रुपए/केवीए	610	पैसे/केवीएच	
	ग) 2500 केवीए से अधिक				
	सभी यूनिटें	280 रुपए/केवीए	611	पैसे/केवीएच	
ख.	मौसमी उद्योग: कॉटन गिनिंग, प्रेसिंग और बॉलिंग प्लांट, शैलर्स/हलर्स मिल्स, किन्नु ग्रेडिंग और वैक्सिंग केंद्र, राइस ब्रान स्टेबलाइजेशन यूनिटें				
	क) मौसम के दौरान (01 सितंबर से 31 मई अगले वर्ष और राइस शैलर्स/हलर मिल्स के लिए 01 अक्टूबर से 30 जून अगले वर्ष)				
	एसपी	180	रुपए/केडबल्यू (छह माह के लिए)	जैसा कि तदनुसूची सामान्य उद्योग के लिए लागू	
	एमएस	230	रुपए/केवीए (छह माह के लिए)		
	एलएस	300	रुपए/केवीए (छह माह के लिए)		
	(ख) गैर-मौसमी				
	एसपी	शून्य			
	एमएस	शून्य			
	एलएस	शून्य			

ग	बर्फ कारखाना एवं बर्फ की मोमबतियाँ तथा शीत भंडारण					
	क) अप्रैल से जुलाई					
	एसपी	180	रुपए/केडबल्यू		जैसा कि तदनुरूपी सामान्य उद्योग के लिए लागू	
	एमएस	230	रुपए/केवीए			
	एलएस	300	रुपए/केवीए			
	ख) अगस्त से मार्च अगले वर्ष					
	एसपी	45	रुपए/केडबल्यू			
	एमएस	58	रुपए/केडबल्यू			
	एलएस	75	रुपए/केडबल्यू			
	माध्यम आपूर्ति/बड़ी आपूर्ति औद्योगिक श्रेणी उपभोक्ताओं और एनआरएस/बीएस उपभोक्ताओं (100 केवीए से अधिक संस्वीकृत संविदा मांग के साथ) के लिए लागू दिन का समय (टाइम ऑफ द डे) टैरिफ					
	अवधि	समयावधि	टीओडी टैरिफ			
	01 अप्रैल 2018 से 31 मई 2018 तक	प्रातः 06.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक	सामान्य टैरिफ			
		शाम 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	सामान्य टैरिफ			
		रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक (अगले दिन)	सामान्य टैरिफ माइनस 125 पैसे/केवीएएच			
01 जून 2018 से 30 सितंबर 2018 तक	प्रातः 06.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक	सामान्य टैरिफ				
	शाम 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	सामान्य टैरिफ माइनस 200 पैसे/केवीएएच				
	रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक (अगले दिन)	सामान्य टैरिफ				
01 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक	प्रातः 06.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक	सामान्य टैरिफ				
	शाम 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	सामान्य टैरिफ				
	रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक (अगले दिन)	सामान्य टैरिफ माइनस 125 पैसे/केवीएएच				

02.11.2017 से राजस्थान में विद्युत टैरिफ

श्रेणी	सेवा की श्रेणी	मांग/नियत प्रभार	एनर्जी प्रभार
एसपी/एलटी-5	लघु औद्योगिक सेवा		
ii)	5 केडबल्यू तक कनेक्टिड लोड के लिए		
	500 यूनिट/माह तक	संस्वीकृत कनेक्टिड लोड के लिए 65 रु/एचपी/माह	600 पैसे/ केडबल्यूएच
	500 यूनिट/माह से अधिक		645 पैसे/ केडबल्यूएच
iii)	5 केडबल्यू से अधिक कनेक्टिड लोड के लिए परंतु 18.65 केडबल्यू (25 एचपी) से अधिक नहीं		
	500 यूनिट/माह तक	संस्वीकृत कनेक्टिड लोड के लिए 65 रु/एचपी/माह	600 पैसे/ केडबल्यूएच
	500 यूनिट/माह से अधिक		645 पैसे/ केडबल्यूएच
एमपी/एलटी- 6	मध्यम औद्योगिक सेवा		

	25 एचपी/18.65 केडबल्यू से अधिक कनेक्टिड लोड परंतु संस्वीकृत कनेक्टिड लोड के 150 एचपी/112 केडबल्यू एवं/या 50 केवीए के अधिकतम मांग से अधिक न हो	संस्वीकृत कनेक्टिड लोड के लिए 75 रु/एचपी/माह या प्रति माह बिलिंग मांग के लिए 165 रु/केवीए	700 पैसे/ केडबल्यूएच
	हाइ टेंशन (11 केवी और उससे अधिक)		
एमपी/एचटी -3	मध्यम औद्योगिक सेवा (11 केवी)	बिलिंग मांग माह के लिए 165 रु/केवीए	700 पैसे/ केडबल्यूएच
एलपी/एचटी - 5	रेलवे ट्रेक्षण सहित बड़े औद्योगिक सेवा (एचटी-11केवी या 33 केवी), ईएचटी (132 केवी या 200 केवी)		
	150 एचपी से अधिक या 125 केवीए से अधिक संस्वीकृत लोड के लिए	बिलिंग मांग माह के लिए 185 रु/केवीए	730 पैसे/ केडबल्यूएच

01.04.2018 से सिक्किम में विद्युत टैरिफ

श्रेणी सं	सेवा की श्रेणी	मांग/नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार	न्यूनतम प्रभार
III (एलटीआईएस)	एलटी औद्योगिक आपूर्ति (25 केवीए से अधिक का लोड नहीं)			
	क) ग्रामीण			
	500 केडबल्यू/माह तक	यदि संस्वीकृत लोड 25केवीए से अधिक है तो	350 पैसे/केडबल्यूएच	120रु/केवीए/माह
	501 से 1000 केडबल्यूएच/माह	ग्रामीण- 60रु /	440 पैसे/केडबल्यूएच	
	1000 केडबल्यूएच/माह से अधिक खपत	केवीए/माह शहरी – 100रु/केवीए/माह	580 पैसे/केडबल्यूएच	
	ख) शहरी			
	500 केडबल्यू/माह तक		530 पैसे/केडबल्यूएच	200रु/केवीए/माह
	501 से 1000 केडबल्यूएच/माह		620 पैसे/केडबल्यूएच	
	1000 केडबल्यूएच/माह से अधिक खपत		715 पैसे/केडबल्यूएच	
IV (एचटीएस)	हाइ टेंशन औद्योगिक आपूर्ति (3.3 केवी से अधिक, तीसरा चरण)			
	100 केवीए से अधिक	200 रु/केवीए/माह	350 पैसे/केडबल्यूएच	मांग प्रभार
	101 केवीए से 250 केवीए	250 रु/केवीए/माह	400 पैसे/केडबल्यूएच	
	251 केवीए से 500 केवीए	290 रु/केवीए/माह	470 पैसे/केडबल्यूएच	
	500 केवीए से अधिक	555 रु/केवीए/माह	510 पैसे/केडबल्यूएच	

11.08.2017 से तमिलनाडु में विद्युत टैरिफ

श्रेणी संख्या	सेवाओं की श्रेणी	मांग/निश्चित प्रभार	(उपभोक्ता द्वारा भुगतान योग्य छूट प्राप्त दर) ऊर्जा प्रभार
---------------	------------------	---------------------	---

I.	हाई टेंशन आपूर्ति		
I-क	उद्योग, पंजीकृत फैक्ट्री, टेक्सटाइल, टी एस्टेट आदि	350 रुपए/केवीए/माह	635
II.	लो टेंशन आपूर्ति		
III-ख	उद्योग (10 एचपी से अधिक)	35 रुपए/केडब्ल्यू/माह	635

01.11.2014 से त्रिपुरा में विद्युत टैरिफ			
श्रेणी संख्या	सेवाओं की श्रेणी	निश्चित प्रभार (रुपए/माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच) (सरकारी सब्सिडी के बाद)
जी	उद्योग		
	5 एचपी तक (ई-आर/5) - सभी यूनिटें	25 रुपए/केडब्ल्यू/माह	583
	5 एचपी तक (ई-यू/5) - सभी यूनिटें	30 रुपए/केडब्ल्यू/माह	626
	5 से अधिक - 20 एचपी - सभी यूनिटें	45 रुपए/केडब्ल्यू/माह	710
	20 से अधिक - 100 एचपी - सभी यूनिटें	60 रुपए/केडब्ल्यू/माह	724
	100 एचपी से अधिक - सभी यूनिटें	75 रुपए/केडब्ल्यू/माह	725

01.04.2018 से तेलंगाना में विद्युत टैरिफ							
श्रेणी संख्या	सेवा की श्रेणी	मांग प्रभार		ऊर्जा प्रभार		ग्राहक प्रभार	
	लो टेंशन	(रुपए/केडब्ल्यू/माह)				(रुपए/माह)	
एलटी-III	उद्योग (100 एचपी/75 केडब्ल्यू और इससे कम का अनुबंधित भार)						
	औद्योगिक - सामान्य						
	(i) उद्योग (सामान्य)	60	रुपए/केडब्ल्यू/माह	670	पैसे/केडब्ल्यूएच	75	20 एचपी तक
	(ii) मछली पालन/झींगा पालन	21	रुपए/केडब्ल्यू/माह	520	पैसे/केडब्ल्यूएच	300	21 - 50 एचपी
	(iii) गन्ना क्रशिंग	21	रुपए/केडब्ल्यू/माह	520	पैसे/केडब्ल्यूएच	1125	51 - 100 एचपी
	(iv) मुर्गी फार्म	50	रुपए/केडब्ल्यू/माह	600	पैसे/केडब्ल्यूएच		
	(v) मशरूम और रेबिट फार्म	60	रुपए/केडब्ल्यू/माह	630	पैसे/केडब्ल्यूएच		
	(vi) उद्योग (ऑफ सीज़न)	60	रुपए/केडब्ल्यू/माह	740	पैसे/केडब्ल्यूएच		

	हाई टेंशन						
एचटी - 1	उद्योग						
(क)	उद्योग - सामान्य						
	11 केवी	390	रुपए/केवीए0/माह	665	पैसे/केवीएएच	1685	
	33 केवी	390	रुपए/केवीए0/माह	615	पैसे/केवीएएच	1685	
	132 केवी और अधिक	390	रुपए/केवीए0/माह	565	पैसे/केवीएएच	3370	
	लाइट एवं पंखे						
	11 केवी			665	पैसे/केवीएएच	1685	
	33 केवी			615	पैसे/केवीएएच	1685	
	132 केवी और अधिक			565	पैसे/केवीएएच	3370	
	मुर्गी फार्म						
	11 केवी	390	रुपए/केवीए0/माह	665	पैसे/केवीएएच		
	33 केवी	390	रुपए/केवीए0/माह	615	पैसे/केवीएएच		
	औद्योगिक कालोनियां (11 केवी, 33 केवी, 132 केवी और अधिक)			630	पैसे/केवीएएच		
	मौसमी उद्योग						
	11 केवी	390	रुपए/केवीए0/माह	760	पैसे/केवीएएच		
	33 केवी	390	रुपए/केवीए0/माह	690	पैसे/केवीएएच		
	132 केवी और अधिक	390	रुपए/केवीए0/माह	670	पैसे/केवीएएच		
	150 केवीए तक के भार वाली वैकल्पिक श्रेणी						
	11 केवी	80	रुपए/केवीए0/माह	700	पैसे/केवीएएच		
	दिन के समय के टैरिफ (ऊर्जा प्रभार)	सायं 6 बजे से रात 10 बजे तक	प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक	रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक			
	11 केवी	765	765	565			
	33 केवी	715	715	515			
	132 केवी और अधिक	665	665	465			
	मुर्गी फार्म - दिन के समय के टैरिफ (ऊर्जा प्रभार)						
	11 केवी	765	765	565			
	33 केवी	715	715	515			
(ख)	लौह अयस्क यूनिटें						

	11 केवी		शून्य	590	पैसे/केवीएच	1685	
	33 केवी			550	पैसे/केवीएच	1685	
	132 केवी और अधिक			500	पैसे/केवीएच	3370	

09.12.2017 से उत्तर प्रदेश में विद्युत टैरिफ

शिड्यूल	सेवा की श्रेणी	मांग/निश्चित प्रभार	ऊर्जा प्रभार	मासिक न्यूनतम प्रभार
एलएमवी-6	औद्योगिक/प्रसंस्करण अथवा कृषि-औद्योगिक कार्यों, 5 केडब्ल्यू और अधिक के पावर लूम, 100 बीएचपी (75 केडब्ल्यू) तक फूलों की खेती/मशरूम फार्मिंग, 25 बीएचपी से अधिक के पम्पिंग सेटों के लिए 100 एचपी (75 केडब्ल्यू) तक के अनुबंधित भार के लिए लघु एवं मध्यम विद्युत			
	क) ग्रामीण शिड्यूल के अलावा 1000 केडब्ल्यूएच/माह तक आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए	245 रुपए/केडब्ल्यू/माह (4 केडब्ल्यू तक अनुबंधित भार)	सम्पूर्ण खपत पर 700 पैसे/केडब्ल्यूएच	
	2000 केडब्ल्यूएच/माह तक	255 रुपए/केडब्ल्यू/माह (4 केडब्ल्यू से 9 केडब्ल्यू तक अनुबंधित भार)	सम्पूर्ण खपत पर 735 पैसे/केडब्ल्यूएच	
	2000 केडब्ल्यूएच/माह से अधिक	275 रुपए/केडब्ल्यू/माह (9 केडब्ल्यू से अधिक अनुबंधित भार)	सम्पूर्ण खपत पर 760 पैसे/केडब्ल्यूएच	
	लागू टीओडी दरें (ऊर्जा प्रभारों का %)			
	ग्रीष्म माह (अप्रैल से सितम्बर)			
	2300 घंटा - 0500 घंटा	0%		
	0500 घंटा - 1100 घंटा	(-) 15%		
	1100 घंटा - 1700 घंटा	0%		
	1700 घंटा - 2300 घंटा	(+) 15%		
	शीत माह (अक्टूबर से मार्च)			
	2300 घंटा - 0500 घंटा	(-) 15%		
	0500 घंटा - 1100 घंटा	0%		
	1100 घंटा - 1700 घंटा	0%		
	1700 घंटा - 2300 घंटा	(+) 15%		
	ख) ग्रामीण शिड्यूल के अनुसार आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ता	बिना टीओडी दरों के "ग्रामीण शिड्यूल के अलावा आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं" के लिए दिए गए अनुसार निश्चित और ऊर्जा प्रभारों पर 7.5% की छूट		
एचवी-2	वृहद् एवं भारी विद्युत			
	(क) औद्योगिक कार्यों/इंडक्शन फर्नेस/मिनी स्पात संयंत्रों/फूलों की खेती और अन्य एचटी उपभोक्ता के लिए 75 केडब्ल्यू से अधिक के अनुबंधित भार के साथ शहरी शिड्यूल			
	आधार दर			
	11 केवी सहित और उस तक आपूर्ति के लिए	250 रुपए/केवीए/माह	665 पैसे/केवीएच	

	11 केवी से अधिक और 66 केवी सहित और उस तक आपूर्ति के लिए	240 रुपए/केवीए/माह	635 पैसे/केवीएएच	
	66 केवी से अधिक और 132 केवी सहित और उस तक आपूर्ति के लिए	220 रुपए/केवीए/माह	615 पैसे/केवीएएच	
	132 केवी से अधिक आपूर्ति के लिए	220 रुपए/केवीए/माह	595 पैसे/केवीएएच	
	(ख) "ग्रामीण शिड्यूल" के अनुसार 11 केवी तक आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ता	बिना टीओडी शिड्यूल के शहरी शिड्यूल के अंतर्गत 11 केवी उपभोक्ताओं के लिए दिए गए अनुसार मांग और ऊर्जा प्रभारों पर 7.5% की छूट		
	शहरी शिड्यूल के लिए दिन के समय (टीओडी) की दरें (ऊर्जा प्रभारों का %)			
	ग्रीष्म माह (अप्रैल से सितम्बर)			
	2300 घंटा - 0500 घंटा	0%		
	0500 घंटा - 1100 घंटा	(-) 15%		
	1100 घंटा - 1700 घंटा	0%		
	1700 घंटा - 2300 घंटा	(+) 15%		
	शीत माह (अक्टूबर से मार्च)			
	2300 घंटा - 0500 घंटा	(-) 15%		
	0500 घंटा - 1100 घंटा	0%		
	1100 घंटा - 1700 घंटा	0%		
	1700 घंटा - 2300 घंटा	(+) 15%		
	(ग) कम वोल्टेज पर मीटरिंग व्यवस्था वाले एचवी-2 श्रेणी के अंतर्गत पहले से मौजूद उपभोक्ता :			
	0.4 केवी पर मीटरिंग वाले एचवी-2 के अंतर्गत मौजूदा उपभोक्ता को एचवी-2 श्रेणी के अंतर्गत 11 केवी उपभोक्ताओं के लिए लागू शिड्यूल के अनुसार भुगतान करना होगा।			

01.04.2018 से उत्तराखंड में विद्युत टैरिफ

शिड्यूल	सेवा की श्रेणी	मांग प्रभार	ऊर्जा प्रभार	गारंटीकृत न्यूनतम खपत
आरटीएस-5	एलटी और एचटी उद्योग			
	1. 75 केडब्ल्यू तक के अनुबंधित भार वाले एलटी उद्योग			
	1.1 25 केडब्ल्यू तक अनुबंधित भार	अनुबंधित प्रभार का 145 रुपए/केडब्ल्यू/माह	425 पैसे/केडब्ल्यूएच	
	1.2 25 केडब्ल्यू से अधिक और 75 केडब्ल्यू तक अनुबंधित भार	अनुबंधित प्रभार का 145 रुपए/केवीए/माह	390 पैसे/केवीएएच	

	2. 88 केवीए/75 केडब्ल्यू (100 बीएचपी) से अधिक अनुबंधित भार वाले एचटी उद्योग			
	2.1 1000 केवीए तक अनुबंधित भार			
	40% तक एलएफ	बिल योग्य मांग का 295 रुपए/केवीए/माह	385 पैसे/केवीएएच	100केवीएएच/केवीए/माह और 1200केवीएएच/केवीए/वर्ष
	40% से अधिक एलएफ		420 पैसे/केवीएएच	
	2.2 1000 केवीए से अधिक अनुबंधित भार			
	40% तक एलएफ	बिल योग्य मांग का 355 रुपए/केवीए/माह	385 पैसे/केवीएएच	100केवीएएच/केवीए/माह और 1200केवीएएच/केवीए/वर्ष
	40% से अधिक एलएफ		420 पैसे/केवीएएच	
	एलटी उद्योग (25 केडब्ल्यू से अधिक भार सहित) और एचटी उद्योग के लिए ऊर्जा प्रभारों के लिए टीओडी छूट/अधिभार की दरें निम्नानुसार होंगी:			
ऋतु/दिन का समय	प्रातःकालीन व्यस्ततम घंटे	सामान्य घंटे	सायंकालीन व्यस्ततम घंटे	अव्यस्ततम घंटे
शीत 01.10 से 31.03	0600-930 घंटे	0930-1730 घंटे	1730-2200 घंटे	2200-0600 घंटे
ग्रीष्म 01.04 से 30.09	-	0700-1800 घंटे	1800-2300 घंटे	2300-0700 घंटे
एलटी उद्योग के लिए	585 पी/केवीएएच	390 पी/केवीएएच	585 पी/केवीएएच	322 पी/केवीएएच
एचटी उद्योग के लिए				
40% तक एलएफ	630 पी/केवीएएच	385 पी/केवीएएच	630 पी/केवीएएच	327 पी/केवीएएच
40% से अधिक एलएफ	630 पी/केवीएएच	420 पी/केवीएएच	630 पी/केवीएएच	357 पी/केवीएएच

01.04.2017 से पश्चिम बंगाल में विद्युत टैरिफ

मासिक बिलिंग चक्र के अंतर्गत निम्न एवं मध्यम वोल्टेज उपभोक्ता

क्र. सं.	उपभोक्ताओं का प्रकार	लागू टैरिफ स्कीम						वैकल्पिक टैरिफ स्कीम										
		उपभोक्ता श्रेणी	टैरिफ स्कीम का नाम	मासिक खपत केडब्ल्यूएच में	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केड ब्ल्यूएच)	नियत प्रभार/मांग प्रभार* (रु/केवीए/माह)	वैकल्पिक टैरिफ स्कीम-I						वैकल्पिक टैरिफ स्कीम-II					
							उपभोक्ता श्रेणी	टैरिफ स्कीम का नाम	मासिक खपत केडब्ल्यूएच में	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केड ब्ल्यूएच)	नियत प्रभार/मांग प्रभार* (रु/केवीए/माह)	उपभोक्ता श्रेणी	टैरिफ स्कीम का नाम	मासिक खपत केडब्ल्यूएच में	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केड ब्ल्यूएच)	नियत प्रभार/मांग प्रभार* (रु/केवीए/माह)		
10	उद्योग (ग्रामीण)	दर-ख (आई-आर)	साधारण	प्रथम	500	604	50	दर-ख (आई-आर)टी	साधारण-टीओडी	06.00 - 17.00 बजे	सभी यूनिटें	663	50	लागू नहीं				
				अगला	1500	724				17.00 - 23.00 बजे	सभी यूनिटें	798						
				से अधिक	2000	749				23.00 - 06.00 बजे	सभी यूनिटें	495						
11	उद्योग (शहरी)	दर-ख (आई-यू)	साधारण	प्रथम	500	620	50	दर-ख (आई-यू)टी	साधारण-टीओडी	06.00 - 17.00 बजे	सभी यूनिटें	677	50	लागू नहीं				
				अगला	1500	745				17.00 - 23.00 बजे	सभी यूनिटें	814						
				से अधिक	2000	775				23.00 -	सभी यूनिटें	505						

									06.00 बजे						
19	औद्योगिक उपभोक्ता (50 केवीए और अधिक लेकिन 125 केवीए तक)	दर-ख आईडीआई	साधारण	सभी यूनिटें	693	255	दर-ख आईडीआई टी	साधारण- टीओडी	06.00 - 17.00 बजे	सभी यूनिटों पर	684	255	<i>लागू नहीं</i>		
									17.00 - 23.00 बजे	सभी यूनिटों पर	821				
									23.00 - 06.00 बजे	सभी यूनिटों पर	513				

* नियत प्रभार 50 केवीए से कम संविदा मांग वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा और मांग प्रभार 50 केवीए और उससे अधिक संविदा मांग वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा।

उच्च एवं अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपभोक्ता

क्र.सं.	उपभोक्ता का प्रकार	लागू टैरिफ स्कीम				ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)										
		उपभोक्ता श्रेणी	टैरिफ स्कीम का नाम	मासिक खपत केडब्ल्यूएच में	ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)			मांग प्रभार (रु/केवीए/माह)	उपभोक्ता श्रेणी	टैरिफ स्कीम का नाम	मासिक खपत केडब्ल्यूएच में			ऊर्जा प्रभार (पैसे/केडब्ल्यूएच)	प्रभार (रु/केवीए/माह)	
					ग्रीष्म	मानसून	शीत				ग्रीष्म	मानसून	शीत			
3	उद्योग (11 केवी)	दर ई (ख)	साधारण	सभी यूनिटें	720	719	718	384	दर ई (बीटी)	साधारण (टीओडी)	06.00 बजे to 17.00 बजे	सभी यूनिटें	708	707	706	384
											17.00 बजे से 23.00 बजे	सभी यूनिटें	850	849	848	
											23.00 बजे से	सभी यूनिटें	531	530	529	

											06.00 बजे						
4	उद्योग (33 केवी)	दर एफ (ख)	साधारण	सभी यूनिटें	717	715	713	384	दर एफ(बीटी)	साधारण (टीओडी)	06.00 बजे से 17.00बजे	सभी यूनिटें	703	701	699	384	
											17.00 बजे से 23.00 बजे	सभी यूनिटें	844	841	838		
											23.00 बजे से 06.00बजे	सभी यूनिटें	527	526	524		
4	उद्योग (33 केवी)	दर एफ (ख)	साधारण	सभी यूनिटें	713	711	709	384			06.00 बजे से 17.00बजे	सभी यूनिटें	691	689	687	384	
											17.00 बजे से 23.00 बजे	सभी यूनिटें	829	826	823		
									दर एच(बीटी)	साधारण (टीओडी)	23.00 बजे से 06.00बजे	सभी यूनिटें	518	516	515		
6	उद्योग (220 केवी)	दर आई (बीटी)	साधारण (टीओडी)	06.00 बजे से 17.00 बजे	सभी यूनिटें	631	629	627	384	लागू नहीं							
				17.00 बजे से 23.00 बजे	सभी यूनिटें	757	754	751									
				23.00 बजे से	सभी यूनिटें	473	472	471									

				06.00 बजे						
7	उद्योग (400 केवी	दर जे(बीटी)	साधारण (टीओडी)	06.00 बजे से 17.00 बजे	सभी यूनिटें	611	609	607	384	लागू नहीं
				17.00 बजे से 23.00 बजे	सभी यूनिटें	733	730	727		
				23.00 बजे से 06.00 बजे	सभी यूनिटें	458	457	456		

दर (बी-आईडी एवं बी-आईडीटी) के अंतर्गत एचवी एवं एचवी औद्योगिक उपभोक्ताओं और एलएण्डएमवी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू लोड फैक्टर छूट (पैसे/केडब्ल्यूएच)

लोड फैक्टर की रेंज		छूट की राशि (पैसे/केडब्ल्यूएच)		
		33 केवी से कम	33 केवी	33 केवी से अधिक
55% से अधिक	60% तक	1	पैसे/केडब्ल्यूएच	2
60% से अधिक	65% तक	7	पैसे/केडब्ल्यूएच	8
65% से अधिक	70% तक	14	पैसे/केडब्ल्यूएच	29
70% से अधिक	75% तक	20	पैसे/केडब्ल्यूएच	35
75% से अधिक	80% तक	25	पैसे/केडब्ल्यूएच	40
80% से अधिक	85% तक	30	पैसे/केडब्ल्यूएच	45
85% से अधिक	90% तक	35	पैसे/केडब्ल्यूएच	50
90% से अधिक	92% तक	40	पैसे/केडब्ल्यूएच	55
92% से अधिक	95% तक	45	पैसे/केडब्ल्यूएच	60
95% से अधिक		50	पैसे/केडब्ल्यूएच	65

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-304

जिसका उत्तर 15 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

देश में बंद पड़ी विद्युत परियोजनाएं

304. डा. फौजिया खान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज कि स्थिति के अनुसार कितनी विद्युत परियोजनाएं बंद पड़ी हैं;

(ख) ऐसी विद्युत परियोजनाओं के बंद होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ऐसी परियोजनाओं का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत की मांग दिन-प्रतिदिन और घटना-दर-घटना अलग-अलग होती है। चालू वर्ष के दौरान, विद्युत की मांग में अंतर 118.6 गीगावाट से 174.3 गीगावाट तक रहा जबकि संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 372 गीगावाट है। विद्युत संयंत्र विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए संचालन हेतु शैड्यूल किए जाते हैं। ऐसा करने में, ऐसी उत्पादन इकाइयों को जो सस्ती होती हैं पहले शैड्यूल किया जाता है और महंगी यूनिटों को रिजर्व में रखा जाता है। किसी यूनिट के बलात् बंद होने के मामले में, बंद करने हेतु रिजर्व में रखे गए विद्युत संयंत्रों को मैरिट ऑर्डर के आधार पर विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रचालित किया जाता है। इस प्रकार, किसी भी दिन विद्युत संयंत्रों की कुछ इकाइयां उत्पादन नहीं करेंगी।

विभिन्न उत्पादन स्टेशनों से एकत्रित की गई केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसी उत्पादन यूनिटों/परियोजनाओं की संख्या जो 31.08.2020 को चालू नहीं थीं, कारणों के साथ नीचे दी गई हैं;

- (i) विभिन्न प्रकार की खराबियों के कारण संचालित नहीं: 84 यूनिटें
- (ii) योजनाबद्ध रख-रखाव के लिए बंद: 12 यूनिटें
- (iii) विद्युत क्रय करार (पीपीए) की अनुपलब्धता: 20 यूनिटें
- (iv) विद्युत लागत प्रतिस्पर्धात्मक नहीं क्योंकि आयातित गैस का मूल्य अधिक होता है और घरेलू उत्पादित गैस की कम उपलब्धता है: 39 यूनिटें
- (v) कोई कोयला लिंकेज नहीं होने सहित कोयला संबंधित मुद्दे: 15 यूनिटें
- (vi) विशिष्ट दिन मैरिट ऑर्डर में न होना: 153 यूनिटें
- (vii) राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का आदेश: 1 यूनिट
- (viii) समाप्त की जाने वाली: 2 यूनिटें

ऐसे विद्युत संयंत्र जिनके पास पीपीए नहीं है, अपनी विद्युत को विद्युत एक्चेंजों में बेच सकते हैं। कोयला भी ई-नीलामी से प्राप्त किया जा सकता है लेकिन उत्पादन उनकी प्रति यूनिट लागत पर निर्भर करेगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-305

जिसका उत्तर 15 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है ।

केरल में चल रही विद्युत परियोजनाएं

305. श्री एम.वी. श्रेयम्स कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केरल सहित देश के भीतर चल रही विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत सहित उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) पूरे देश में विगत दो वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृत, आवंटित और प्रयुक्त धनराशि कितनी-कितनी है;
- (ग) क्या कुछ परियोजनाएं अत्यधिक लागत/अत्यधिक समय लगने की समस्या से जूझ रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) भविष्य में इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : देश में निर्माणाधीन ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, उत्पादन एक लाइसेंस विहीन गतिविधि है। विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में निवेश संबंधित विकासकर्ता द्वारा किया जाता है। इसलिए, मामला-दर-मामला आधार पर ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी के रूप में अंशदान के सिवाय, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई राशि संस्वीकृत/आवंटित नहीं की जाती है। निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं द्वारा कोई विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता है; विद्युत का उत्पादन केवल विद्युत परियोजनाएं पूरी होने और चालू होने के बाद ही शुरू होता है।

(ग) और (घ) : ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में समय आधिक्य के प्रमुख कारण सामग्री एवं उपकरणों की उलब्धता, भूमि संबंधी मुद्दों और अंतर-राज्य मामलों से संबंधित हैं। लागत आधिक्य ब्याज दर में वृद्धि, मुद्रास्फीति और परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन से होता है।

परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने विभिन्न स्तरों पर निगरानी तंत्र स्थापित किया है।

- (i) विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) बार-बार स्थलों के दौरों और विकासकर्ताओं एवं उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ चर्चा के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। सीईए परियोजनाओं को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को अभिनिर्धारित करने और उनको हल करने में सहायता करने के लिए विकासकर्ताओं एवं अन्य पणधारकों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।
- (ii) केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयूज) की परियोजनाओं के मामले में सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता जापन में परियोजना क्रियान्वयन मानकों/लक्ष्यों को समाहित किया जाता है और सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठक में इनकी निगरानी की जाती है।
- (iii) विद्युत मंत्रालय (एमओपी) भी मुद्दों और बाधाओं को अभिनिर्धारित करने और अंतर-मंत्रालयी तथा अन्य लंबित मुद्दों का तीव्र समाधान सुकर बनाने के लिए बैठकें आयोजित करता है।
- (iv) उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अंतर्गत परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) विकासकर्ताओं द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों/बाधाओं को केन्द्रीय/राज्य सरकार प्राधिकरणों के साथ उठाकर हल करता है।
- (v) महत्वपूर्ण विद्युत परियोजनाओं की निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रगति पोर्टल के माध्यम से भी की जाती है।

अनुबंध -I

राज्य सभा में दिनांक 15.09.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 305 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
<i>केन्द्रीय क्षेत्र</i>			
1	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660
		यू-2	660
		यू-3	660
2	नबी नगर टीपीपी	यू-4	250
3	न्यू नबी नगर टीपीपी	यू-2	660
		यू-3	660
4	नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी	यू-1	660
		यू-2	660
		यू-3	660
5	गदरवारा एसटीपीपी	यू-2	800
6	दालीपल्ली एसटीपीपी	यू-2	800
7	नैवेली न्यू टीपीपी	यू-2	500
8	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे.-I	यू-1	800
		यू-2	800
9	मेजा एसटीपीपी	यू-2	660
10	टांडा टीपीपी स्टे.-II	यू-6	660
11	घाटमपुर टीपीपी	यू-1	660
		यू-2	660
		यू-3	660
12	बरसिंगसर टीपीपी एक्सटें.	यू-1	250
13	बिथनोक टीपीपी	यू-1	250
14	पतरातु एसटीपीपी	यू-1	800
		यू-2	800
		यू-3	800
15	राऊरकेला पीपी-II एक्सपेंशन	यू-1	250
16	खुर्जा एससीटीपीपी	यू-1	660
		यू-2	660
17	बक्सर टीपीपी	यू-1	660

		यू-2	660
			18320
राज्य क्षेत्र			
1	डॉ. नारल्ला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V	यू-1	800
2	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II	यू-1	800
3	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	यू-8	660
4	भद्रादरी टीपीपी	यू-2	270
		यू-3	270
		यू-4	270
5	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी	यू-1	660
6	एन्नोर एससीटीपीपी	यू-1	660
		यू-2	660
7	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III	यू-1	800
8	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	यू-1	800
		यू-2	800
9	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II	यू-1	660
10	येलहांका सीसीपीपी	जीटी+एसटी	370
11	जवाहरपुर एसटीपीपी	यू-1	660
		यू-2	660
12	ओबरा-सी एसटीपीपी	यू-1	660
		यू-2	660
13	यादादरी टीपीएस	यू-1	800
		यू-2	800
		यू-3	800
		यू-4	800
		यू-5	800
14	पंकी टीपीएस एक्सपें.	यू-1	660
15	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I	यू-1	660
		यू-2	660
16	भुसावल टीपीएस	यू-6	660
कुल राज्य क्षेत्र			17760
निजी क्षेत्र			
1	भावनापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660
		यू-2	660
2	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II	यू-3	350
		यू-4	350
3	अकालतारा टीपीपी	यू-4	600
		यू-5	600

		यू-6	600
4	सिरिया टीपीपी	यू-1	660
		यू-2	660
		यू-3	660
		यू-4	660
5	बिजकोट टीपीपी	यू-3	300
		यू-4	300
6	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660
		यू-4	660
7	सिंघीतराई टीपीपी	यू-1	600
		यू-2	600
8	सलोरा टीपीपी	यू-2	135
9	देवरी (विसा) टीपीपी	यू-1	600
10	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I	यू-1	270
		यू-2	270
11	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270
		यू-4	270
12	तोरी टीपीपी फेज-I	यू-1	600
		यू-2	600
13	तोरी टीपीपी फेज-II	यू-3	600
14	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270
		यू-2	270
		यू-3	270
		यू-4	270
		यू-5	270
15	लैंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660
		यू-2	660
16	नासिक टीपीपी फेज-II	यू-1	270
		यू-2	270
		यू-3	270
		यू-4	270
		यू-5	270
17	बिजोरा घनमुख टीपीपी	यू-1	300
		यू-2	300
18	शीरपुर टीपीपी	यू-2	150
19	गोरजी टीपीपी	यू-1	660

20	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	यू-2	350
21	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350
		यू-2	350
		यू-3	350
22	लेंको बाबंध टीपीपी	यू-1	660
		यू-2	660
23	मली ब्राह्मणी टीपीपी	यू-1	525
		यू-2	525
24	तूतीकोरिन टीपीपी	यू-1	660
25	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV	यू-1	525
26	हिरनमये एनर्जी लि.	यू-3	150
कुल निजी क्षेत्र			23730
कुल जोड़			59810

अनुबंध –II

राज्य सभा में दिनांक 15.09.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 305 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा (25 मेगावाट से अधिक)

31.08.2020 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5
	केन्द्रीय क्षेत्र			
1	तपोवन विष्णुगढ़	उत्तराखंड	1 2 3 4	130 130 130 130
2	लता तपोवन	उत्तराखंड	1 2 3	57 57 57
3	रम्माम-III	पश्चिम बंगाल	1 2 3	40 40 40
4	कमेंग	केंद्रीय	3 4	150 150
5	टिहरी पीएसएस	उत्तराखंड	1 2 3 4	250 250 250 250
6	परबती - II	हिमाचल प्रदेश	1 2 3 4	200 200 200 200
7	सुबानसिरी लोअर	अरुणाचल प्रदेश/असम	1 2 3 4 5 6 7 8	250 250 250 250 250 250 250 250
8	तीस्ता चरण VI	असम	1 2 3 4 1 2 3 4	125 125 125 125 125 125 125 125
9	विष्णुगढ़ पीपलकोटि	सिक्किम	1 2 3 4	111 111 111 111
10	पकल डुल	उत्तराखंड	1 2 3 4	250 250 250 250

11	रत्ने	जम्मू एवं कश्मीर	1 2 3 4 5	205 205 205 205 30
12	नेटवर मोरी	उत्तराखण्ड	1 2	30 30
13	कीरू	जम्मू एवं कश्मीर	1 2 3 4	156 156 156 156
राज्य क्षेत्र				
14	परनई	जम्मू एवं कश्मीर	1 2 3	12.5 12.5 12.5
15	लोउर कलनई	जम्मू एवं कश्मीर	1 2	24 24
16	उहल-III	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	33.33 33.33 33.33
17	सवरा कुड्डु	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	37 37 37
18	शोगटोम कर्चम	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	150 150 150
19	पल्लीवासल	केरल	1 2	30 30
20	थोट्टियार	केरल	1 2	30 10
21	शाहपुरकांडी	पंजाब	1 2 3 4 5 6 7	33 33 33 33 33 33 8
22	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस		1 2	40 40
23	व्यासी	महाराष्ट्र	1 2	60 60
24	पोलावरम	उत्तराखंड	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
25	कुंडाह पीएसपी (चरण-I, चरण-II एवं चरण-III)	आंध्र प्रदेश	1 2 3 4	125 125 125 125
निजी क्षेत्र				
26	टिडोंग-I	हिमाचल प्रदेश	1 2 1 2	50 50 50 50

27	टंगनू रोमाई-I		1	22
		हिमाचल प्रदेश	2	22
28	सोरंग		1	50
		हिमाचल प्रदेश	2	50
29	सिंगोली भटवारी		1	33
		उत्तराखंड	2	33
			3	33
30	फाटी बियुंग		1	38
		उत्तराखंड	2	38
31	महेश्वर		1	40
		मध्य प्रदेश	2	40
			3	40
			4	40
			5	40
			6	40
			7	40
			8	40
			9	40
			10	40
32	रंगित-IV एचई परियोजना		1	40
		सिक्किम	2	40
			3	40
33	भास्मे		1	25.5
		सिक्किम	2	25.5
34	रौंगनिछु		1	48
		सिक्किम	2	48
35	बजोली होली		1	60
		एच.पी.	2	60
			3	60
36	रंगित-II		1	33
		सिक्किम	2	33
37	पनन		1	75
		सिक्किम	2	75
			3	75
			4	75
38	कुटेहर		1	80
		हिमाचल प्रदेश	2	80
			3	80

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-306

जिसका उत्तर 15 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता

306. डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता कितनी है; तत्संबंधी केन्द्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) कुल संस्थापित क्षमता में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विगत पांच वर्षों में कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : गत पांच वर्षों में तथा दिनांक 31.08.2020 की स्थिति के अनुसार, संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र को योगदान **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) : गत पांच वर्षों में तथा दिनांक 31.08.2020 की स्थिति के अनुसार, कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

अनुबंध -I

राज्य सभा में दिनांक 15.09.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 306 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान गत पांच वर्षों तथा 31.08.2020 तक की संस्थापित क्षमता के राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)											
	31.08.2020 की स्थिति के अनुसार				31.03.2020 की स्थिति के अनुसार				31.03.2019 की स्थिति के अनुसार			
	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
चंडीगढ़	165	0	43	208	166	0	41	207	163	0	35	198
दिल्ली	4561	1800	1213	7575	4578	1800	1203	7582	4146	1935	1156	7237
हरियाणा	3803	2929	5564	12297	3803	2929	5558	12290	2600	4042	4626	11268
हिमाचल प्रदेश	1467	951	1599	4016	1467	951	1589	4007	1498	951	1619	4068
जम्मू और कश्मीर	1812	1535	74	3422	1812	1535	69	3417	1795	1534	65	3394
पंजाब	4191	3281	6881	14352	4200	3281	6724	14205	2239	4636	6558	13432
राजस्थान	3760	8231	13529	25519	3774	8231	13356	25360	3067	8234	11288	22589
उत्तर प्रदेश	7106	6242	12928	26276	7106	6218	12837	26162	6468	6218	12444	25130
उत्तराखंड	939	1320	1293	3551	939	1320	1291	3550	920	1320	1163	3403
उत्तरी क्षेत्र	30399	26290	43124	99813	30440	26266	42669	99375	25425	28870	38953	93248
छत्तीसगढ़	2816	2211	8209	13236	2416	2211	8208	12835	2259	2411	9374	14044
गुजरात	4793	8572	22428	35792	4738	8572	21900	35211	4469	7765	20057	32291
मध्य प्रदेश	6926	7188	10839	24953	6868	7188	10765	24821	5692	7188	10454	23334
महाराष्ट्र	7919	13661	22141	43721	7831	13661	22004	43496	7754	14081	22309	44144
दमन और दीव	208	0	27	234	204	0	20	224	192	0	14	206
दादरा नगर हवेली	293	0	205	498	288	0	205	493	271	0	5	276
गोवा	532	0	53	585	528	0	53	581	515	0	52	567
पश्चिमी क्षेत्र	26562	31632	63902	122096	25830	31632	63156	120618	23910	31444	62267	117622
आंध्र प्रदेश	2078	6975	15816	24869	2078	6975	15801	24854	2052	6975	15157	24184
तेलंगाना	2146	7954	6320	16419	2146	7684	6195	16024	2115	8104	5608	15826
कर्नाटक	4012	8800	17042	29855	4012	8800	17012	29825	3527	8928	15620	28075
केरल	2081	2189	1432	5702	2081	2189	1426	5696	1915	2189	979	5083
तमिलनाडु	5996	7145	19749	32890	6246	7145	19449	32840	6069	7145	17845	31059
पांडिचेरी	337	33	8	377	337	33	6	375	334	33	3	370
लक्षद्वीप	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
दक्षिणी क्षेत्र	19047	33096	60367	112510	19297	32826	59889	112012	18347	33374	55212	106933
बिहार	4748	71	978	5797	4748	71	973	5792	3959	71	536	4566
डीवीसी	3491	0	150	3641	3491	0	150	3641	7171	0	0	7171
झारखंड	1337	554	623	2515	1337	554	623	2514	455	554	765	1774

ओडिशा	1967	3828	2796	8592	1967	3828	2771	8567	1733	2508	3412	7654
पश्चिम बंगाल	1681	6498	2861	11039	1681	6498	2848	11026	1171	6608	2790	10568
सिक्किम	166	412	96	674	166	412	96	674	151	412	399	962
अंडमान- निकोबार	5	45	24	75	5	45	7	57	5	45	7	57
पूर्वी क्षेत्र	14702	11408	7529	33639	14702	11408	7468	33579	15857	10198	7909	33964
अरुणाचल प्रदेश	414	107	30	551	242	107	30	379	200	107	29	337
असम	1254	434	72	1760	1254	433	70	1757	1226	433	51	1710
मणिपुर	214	41	6	262	221	41	5	268	214	41	3	259
मेघालय	240	355	14	609	240	355	14	609	228	355	0	582
मिजोरम	169	36	2	207	174	36	2	212	169	36	1	206
नगालैंड	143	31	1	175	143	31	1	175	138	31	1	170
त्रिपुरा	567	186	4	756	574	186	4	764	567	186	0	752
उत्तर-पूर्वी	3317	1190	129	4636	3209	1189	125	4523	3059	1189	86	4333
अखिल भारत	94027	103617	175050	372693	93477	103322	173308	370106	86597	105076	164428	356100

टिप्पणी: संबंधित क्षेत्र में सी.जी.एस. से अनाबंटित विद्युत सम्मिलित है।
दशमलव में दिए गए आंकड़े राउंडिंग ऑफ के कारण मेल नहीं कर सकते हैं।

राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)											
	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार				31.03.2017 की स्थिति के अनुसार				31.03.2016 की स्थिति के अनुसार			
	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
चंडीगढ़	163	0	25	188	160	0	17	177	119	0	7	126
दिल्ली	4851	1935	1099	7885	4854	1935	1033	7823	5573	2185	568	8326
हरियाणा	2600	4014	4628	11242	2570	4014	4473	11056	2419	4129	2291	8839
हिमाचल प्रदेश	1498	951	1589	4039	1486	851	1556	3893	1528	650	2285	4463
जम्मू और कश्मीर	1843	1534	51	3428	1709	1513	51	3274	1561	1512	51	3123
पंजाब	2239	5468	6558	14265	2255	5478	6429	14162	2048	5013	5650	12711
राजस्थान	3017	7566	10442	21024	2671	6906	10200	19776	2540	6806	8574	17920
उत्तर प्रदेश	6520	6312	12178	25011	5819	6672	11171	23662	5440	6472	7768	19680
उत्तराखंड	920	1320	1117	3356	908	1315	1090	3313	852	1315	1090	3256
उत्तरी क्षेत्र	26180	29100	37687	92967	24861	28684	36021	89566	24231	28081	28284	80596
छत्तीसगढ़	2001	2411	9014	13427	1597	3411	7052	12060	1622	2911	10991	15524
गुजरात	4312	7708	18775	30794	3995	8332	18390	30716	3872	8072	17844	29788
मध्य प्रदेश	5144	5868	9310	20322	4623	5868	9128	19618	4540	5868	8406	18814
महाराष्ट्र	7420	13901	21753	43074	7114	14345	19950	41410	7026	14735	19574	41335
दमन और दीव	177	0	11	188	171	0	10	182	55	0	4	59
दादरा नगर हवेली	250	0	5	255	239	0	3	242	90	0	0	90
गोवा	500	0	49	549	492	0	49	541	364	0	48	412
पश्चिमी क्षेत्र	22345	29888	58917	111149	20552	31956	54582	107089	19792	31586	56866	108243
आंध्र प्रदेश	2052	6968	14032	23052	1735	6483	14081	22298	1600	4934	8766	15301

तेलंगाना	2115	7573	5400	15087	2027	6389	3085	11501	1870	6942	2751	11564
कर्नाटक	3527	8903	14267	26697	3127	8903	9286	21317	2104	8103	7646	17854
केरल	1915	2192	967	5075	1830	2186	983	4999	1627	2255	291	4172
तमिलनाडु	6119	7170	16613	29903	5838	7170	16105	29112	5142	7599	12889	25630
पांडिचेरी	334	33	0	367	334	33	0	367	302	33	0	335
लक्षद्वीप	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
दक्षिणी क्षेत्र	18397	32838	51280	102515	17105	31164	43541	91809	14570	29866	32345	76780
बिहार	3024	781	536	4341	2824	281	503	3608	2661	281	109	3050
डीवीसी	7171	0	0	7171	7721	0	0	7721	7494	0	1050	8544
झारखंड	455	554	756	1764	355	1009	873	2237	386	1324	916	2626
ओडिशा	1733	2488	3117	7338	1723	2488	4327	8538	1788	2488	5176	9452
पश्चिम बंगाल	1171	6698	2769	10638	1171	6698	2514	10383	1274	6889	2096	10258
सिक्किम	151	412	399	962	151	412	195	758	167	52	195	414
अंडमान- निकोबार	5	45	1	52	0	45	7	52	0	45	5	50
पूर्वी क्षेत्र	14897	10978	7579	33454	15107	10933	8419	34459	15367	11079	9547	35993
अरुणाचल प्रदेश	169	105	5	279	169	105	0	274	153	105	0	258
असम	1046	418	41	1505	1046	513	40	1600	875	466	29	1369
मणिपुर	192	41	0	233	192	41	0	233	165	41	0	206
मेघालय	205	353	0	558	205	313	0	518	197	313	0	510
मिजोरम	155	36	0	192	95	41	0	137	83	36	0	120
नगालैंड	124	31	1	155	124	31	1	155	110	31	0	141
त्रिपुरा	542	186	0	727	537	186	5	727	486	186	5	677
उत्तर-पूर्वी	2699	1170	48	3917	2634	1230	46	3910	2338	1178	34	3550
अखिल भारत	84517	103975	155511	344003	80257	103967	142608	326833	76297	101790	127076	305162

अनुबंध –II

राज्य सभा में दिनांक 15.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 306 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कुल संस्थापित क्षमता में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान

निम्नलिखित तिथि तक	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)				
	केन्द्रीय क्षेत्र (क)	राज्य क्षेत्र (ख)	सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख)	निजी क्षेत्र (ग)	कुल (क+ख+ग)
31.03.2016	76296.75	101790.18	178086.93	127075.56	305162.49
31.03.2017	80257.25	103967.28	184224.53	142608.01	326832.53
31.03.2018	84516.63	103974.75	188491.38	155511.02	344002.39
31.03.2019	86596.63	105075.86	191672.49	164427.70	356100.19
31.03.2020	93476.93	103321.74	196798.67	173307.79	370106.46
31.08.2020	94026.93	103616.90	197643.83	175049.54	372693.36

अनुबंध –III

राज्य सभा में दिनांक 15.09.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 306 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

गत पांच वर्षों के लिए कुल उत्पादित संस्थापित क्षमता में आरईएस अंश का ब्यौरा

उत्पादित संस्थापित क्षमता (मेगावाट)						
	31.08.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार
आरईएस	88793.43	87027.68	77641.63	69022.39	57244.23	45924.04
कुल उत्पादित संस्थापित क्षमता	372693.36	370106.46	356100.19	344002.39	326832.53	305162.49
आरईएस का % शेयर	23.82	23.51	21.80	20.06	17.51	15.05

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-307

जिसका उत्तर 15 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

कोरोना संकट के दौरान तरलता बनाये रखने के लिए डिस्कॉम्स को उपलब्ध कराये गए प्रोत्साहन

307. श्री महेश पोद्दार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कोरोना संकट के दौरान विद्युत क्षेत्र में तरलता बनाए रखने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और केन्द्रीय क्षेत्र के संस्थानों पर आर्थिक बोझ के प्रकार और उसकी मात्रा का ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा डिस्कॉम्स को उपलब्ध करवाई जा रही वित्तीय सहायता के परिणामस्वरूप घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को उपार्जित कुल लाभों का ब्यौरा क्या है, इससे संबंधित रीति और मात्रा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) कुल नियत प्रभार, विलंबित अदायगी, अधिभार भुगतान के संदर्भ में सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के कारण घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई गई राहत का ब्यौरा क्या है? इसके प्रकार और मात्रा क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क से ग) : कोविड-19 महामारी की परिदृश्य में, देश में विद्युत की आपूर्ति में लिक्विडिटी के कारण कोई बाधा उत्पन्न न हो यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पावर फाइनेन्स कोरपोरेशन (पीएफसी) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कोरपोरेशन (आरईसी) के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में 90,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाए। इस हस्तक्षेप के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2020 के अनुसार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू), उत्पादन कंपनियाँ (जेनको) तथा पारेषण कंपनियाँ (ट्रांसकोस), स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों (आरई) के बकाया देयताओं को समाप्त करने हेतु वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को 10 वर्ष तक विशेष दीर्घावधिक परिवर्तन ऋण प्रदान करने के लिए पीएफसी तथा आरईसी को

निर्देश दिया गया है। अब तक, 68,184 करोड़ रुपये तक के ऋण की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा 24,674 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा दिनांक 24.03.2020 से 30.06.2020 की अवधि हेतु विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) को 18% से 12% तक घटाने के लिए भी निर्देश दिए गए, जिससे वितरण कंपनियां लाभान्वित होंगी। इसके अतिरिक्त, पीएफसी तथा आरईसी ने 1 मार्च, 2020 तथा 31 अगस्त, 2020 की अवधि के दौरान 3 माह की अवधि हेतु ब्याज के भुगतान तथा मूल भुगतान के लिए अधिस्थगन की अनुमति दी है।

उपभोक्ताओं, घरेलू तथा औद्योगिक सहित, को राहत प्रदान करने की उद्देश्य से, सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन तथा विद्युत पारेषण क्षेत्र में विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) के माध्यम से वितरण कंपनियों को 2985 करोड़ रुपये की छूट देने के प्रावधान के माध्यम से हस्तक्षेप किया है। इसके अतिरिक्त, लॉकडाउन अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, इन कंपनियों को लॉकडाउन अवधि के दौरान वितरण कंपनियों से बकाया देयताओं की वसूली हेतु किसी प्रकार का बल प्रयोग न करने की सलाह दी गई थी।
